संख्या– ✓ /XVIII(II)/2022–18(35)/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 07 जनवरी, 2022

विषयः– ग्राम राजपुर–प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार स्थित भूमि में सिड़कुल द्वारा औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–703/जि0भू0व्य0सहा0–2021, दिनांक 27 जुलाई, 2021 तथा पत्र संख्या–725/जि0भू0व्य0सहा0–2021, दिनांक 06 अगस्त, 2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ग्राम राजपुर–प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार में स्थित श्रेणी–5(1) व 5(2) व 5(3) की सरकारी कुल क्षेत्रफल–47.532 है0 भूमि पर सिडकुल द्वारा औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को हस्तान्तरण करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया गया है। संयुक्त टीम द्वारा अभिलेखों के निरीक्षणोंपरान्त भूमि का विवरण निम्नवत् हैः–

क0सं0	ग्राम का नाम	श्रेणी	उपलब्ध क्षेत्रफल	मद	विवरण
1–	राजपुर	5(3)	14.798	चारागाह	एक ही स्थान पर।
		1 खाता	14.798	—	
2–	प्रहलादपुर	5(9)	2.777	नवीन परती	चकबन्दी न्यायालयों द्वारा इकजाई की जा सकती है।
		5(3)	0.615	बंजर	
		02 खाता	3.392		
3–	शाहपुर	5(1)	2.779	नवीन परती	एक ही स्थान पर है।
		5(2)	2.069	पुरानी परती	
		5(3)	8.476	बंजर	
		03 खाता	13.324		
	मदारपुर	5(9)	0.775	नवीन परती	उपजिलाधिकारी न्यायालय में इकजाई की जा सकती है।
		5(3)ख	15.213	वन विभाग	

		5(3)	0.030	बंजर	
		3 खाता	16.018		
	कुल–04 ग्राम	**09 खाता**	**47.532**		

2– उक्त सम्बन्ध में शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम राजपुर–प्रहलादपुर, शाहपुर एवं मदारपुर तहसील लक्सर जिला हरिद्वार स्थित 47.532 है0 भूमि में से वन विभाग के स्वामित्व की 15.213 है0 श्रेणी–5(3)ख को छोड़कर शेष 32.319 है0 भूमि शासनादेश सं0–258/16(1)/73–राजस्व–1, दिनांक 09–05–1984 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–280–रा0–1, दिनांक–12–09–1997 तथा शासनादेश संख्या–496/XVII(II)/2020–08(63)/2016 दिनांक 28 जुलाई, 2020 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थान विकसित किये जाने (वाणिज्यिक प्रयोजन) हेतु श्री राज्यपाल महोदय औद्योगिक विकास विभाग के पक्ष में सःशुल्क आवंटन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन गैर वानिकी कार्य हेतु तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। जिलाधिकारी पहले इसे सुनिश्चित करेंगें। तद्नुसार वन विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही पट्टा निष्पादन की कार्यवाही करेंगे।

(2) प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू–सुधार अधिनियम की धारा–132 के समकक्ष सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) चूंकि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित शासनादेश दि0–09–05–1984 के अधीन निर्धारित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। अतः इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित प्राविधानों का अनुपालन अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) इस संबंध में सिविल अपील संख्या–1132/2011 (एस0एल0पी0)/(सी) संख्या–3109/ 2011, श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत प्रदान की गयी है।

(6) प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा तथा उक्त भूमि भार सहित राज्य सरकार में निहित हो जायेगी।

(7) यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।

(8) भू–उपयोगिता व पट्टे में इंगित शर्तों के कम में शासन/जिलाधिकारी/अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

(9) प्रस्तावित भूमि आवंटन के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्र का गौचर के रूप में 05 प्रतिशत बनाये रखना आवश्यक होगा।

(10) विभाग द्वारा शासनादेशानुसार नजराने एवं मालगुजारी की जमा करायी गई धनराशि की प्राप्ति रसीद/चालान की प्रति तत्काल शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

(11) आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दु संख्या–1 से 10 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

3– कृपया इस सम्बन्ध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत किये जाने वाले आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों की अनुपालन स्थिति से भी अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

/

(रविनाथ रामन)
सचिव।

संख्या–83 /XVIII(II)/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि0 29–आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून।
5– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गीता शरद)
अनु सचिव।